भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं 16**

<u>दिनांक 17 जुलाई, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी॰जी॰एस॰एण्ड डी॰) को बन्द किया जाना

*16. श्री बी॰ श्रीरामुलुः
श्री बी॰ विनोद कुमारः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अपने सरकारी क्रयस्कंध, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, को बन्द करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;
(ख) क्या सरकार का डी॰जी॰एस॰ एण्ड डी॰ के स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अमेरिका के ''बाई अमेरिकन'' नीति की तर्ज पर विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी–आधारित एक प्लेटफार्म स्थापित करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या डी॰जी॰एस॰ एण्ड डी॰ में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को नई प्रणाली में स्थानांतरित किया जाएगा या बाहर से आउटसोर्स किया जाएगा; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है?

<u>उत्तर</u>

<u>वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)</u>

<u>(श्रीमती निर्मला सीतारमण)</u>

(क) से (ड़): सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी.जी.एस. एण्ड डी.) को बंद किये जाने के संबंध में लोकसभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ तारॉकित प्रश्न सं. 16 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) एवं (ख): सरकारी प्रापण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता लाने के उद्देश्य से, सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) नामक प्रौद्योगिकी संचालित मंच बनाने का निर्णय लिया है । यह पंजीकरण से लेकर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने तक एक पूरी तरह से आनलाइन प्रापण मंच है । सरकार ने जीईएम प्रणाली की स्थापना करने और उसका प्रचालन करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत धारा (सेक्शन) 8 कंपनी , जो 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होगी, के रूप में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम एसपीवी) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

जीईएम एसपीवी को 17 मई, 2017 को निगमित किया गया और सीईओ नियुक्त किया गया है ।

(ग): सरकार ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा जारी दिनांक 15.06.2017 को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इण्डिया को अधिमानता) नीति अधिसूचित की है । गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के जरिये खरीद के संदर्भ में इस नीति के खण्ड 8 के अनुसार मदों को प्रदर्शित करने हेतु उनको पंजीकृत करते समय, यथा संभव उन सभी मदों को विशेष रूप से चिन्हित किया जाएगा जो न्यूनतम स्थानीय मात्रा को पूरा करते हैं और जहां कहीं व्यवहार्य हो, क्रय अधिमानता एवं क्रय अधिमानता के बिना ऑटोमेटेड तुलना करने और क्रय अधिमानता का प्रयोग किए जाने वाले मामलों में स्थानीय आपूर्तिकर्ता की सम्मति प्राप्त करने का प्रावधान हो ।

(घ) एवं (ड़): जीईएम अपने कार्य को कुशल तरीके से करने के लिए डी.जी.एस. एण्ड डी के अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के अलावा पेशेवरों, को भी कार्य में लगायेगा ।

******